

— प्रेस नोट —
जनपद मीरजापुर ।

संख्या: 16/2021

दिनांक: 18.07.2021

थाना विन्ध्याचल क्षेत्रान्तर्गत अष्टभुजा पहाड़ी पर हुई युवक की हत्या का पर्दाफाश, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्तल बरामद—

ज्ञातव्य हो कि दिनांक 15.07.2021 को समय 07.00 बजे के करीब थाना विन्ध्याचल के चौकी अष्टभुजा क्षेत्रान्तर्गत वाहन स्टैण्ड के पास स्थित तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति का शव होने की सूचना प्राप्त हुई थी। मृतक की पहचान सुनील पुत्र हिंचलाल उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम गोपालपुर मड़गुडा थाना विन्ध्याचल मीरजापुर के रूप में हुई। मृतक के भाई रामसजीवन की तहरीर के आधार पर थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0सं0-115/21 धारा 302 भा0द0वि0 बनाम बइस्तवाह पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना एवं घटना के सफल आनवरण हेतु पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा टीम गठित की गई थी। गठित टीम प्र0नि0 विन्ध्याचल, स्वाट एवं एस0ओ0जी0 द्वारा सुरागरसी पतारसी व भौतिक साक्ष्य संकलन करते हुए प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर आज दिनांक 18.07.2021 समय 08.00 बजे नवनिर्माणाधीन टोल प्लाजा अष्टभुजा से घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों को क्रमशः 1-अमित विक्रम सिंह उर्फ गोलू पुत्र मुन्ना उर्फ महेन्द्र विक्रम सिंह, 2-हर्ष विक्रम सिंह पुत्र मानवेन्द्र विक्रम सिंह उर्फ मंगल सिंह, 3-मोहित गिरी पुत्र राजेश गिरी निवासीगण अष्टभुजा थाना विन्ध्याचल मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा घटना को कारित करना स्वीकार किया गया, जिनकी निशानदेही पर घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूर झाड़ी से आलाकत्तल एक लाल रंग अंगोछा तथा उससे बंधा हुआ एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा बरामद किया गया।

विवरण पूछताछ/घटना क्रम—

गिरफ्तार अभियुक्त अमित विक्रम सिंह उर्फ गोलू द्वारा बताया गया कि मृतक के परिवारीजन से पुरानी रंजीश चली आ रही है तथा वर्ष 2012 में मेरे चाचा लाखन सिंह को मारा पीटा गया था, जिससे उनका मानसिक संतुलन सही नहीं है और वह अर्ध विक्षिप्त की तरह रहते हैं। इसी बात को लेकर अभियुक्त अमित विक्रम सिंह द्वारा अपने साथी हर्ष विक्रम सिंह व मोहित गिरी के साथ मिलकर सुनील(मृतक) की हत्या करके तालाब में फेंक दिया गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

- 1-अमित विक्रम सिंह उर्फ गोलू पुत्र मुन्ना उर्फ महेन्द्र विक्रम सिंह निवासी अष्टभुजा मन्दिर के बगल थाना विन्ध्याचल मीरजापुर।
- 2-हर्ष विक्रम सिंह पुत्र मानवेन्द्र विक्रम सिंह उर्फ मंगल निवासी अष्टभुजा मन्दिर के बगल थाना विन्ध्याचल मीरजापुर।
- 3-मोहित गिरी पुत्र राजेश गिरी निवासी अष्टभुजा थाना विन्ध्याचल मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास—

अमित विक्रम सिंह— मु0अ0सं0-34/2020 धारा 188,269,270,411,414 भा0द0वि0 थाना विन्ध्याचल।

विवरण बरामदगी—

आलाकत्तल एक लाल रंग अंगोछा तथा उससे बंधा हुआ एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय—

नवनिर्माणाधीन टोल प्लाजा अष्टभुजा के पास से, दिनांक 18.07.2021 को समय 08.00 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण—

थाना विन्ध्याचल	स्वाट/एसओजी/सर्विलांस टीम
1-निरी0 शैलेश राय (प्रभारी थाना विन्ध्याचल)	1-उ0नि0 रामस्वरूप वर्मा (प्रभारी स्वाट)
2-उ0नि0 नवनीत कुमार चौरसिया (चौकी प्रभारी अष्टभुजा)	2-हे0का0 बृजेश सिंह
3-व0उ0नि0 केदारनाथ मौर्या	3-हे0का0 राजसिंह राणा
4-हे0का0 राधेश्याम सिंह	4-हे0का0 राजेश यादव
5-का0 आशुतोष राय	5-हे0का0 विरेन्द्र सरोज
6-रि0का0 आशीष कुमार	6-हे0का0 रविसेन सिंह
7-म0का0 उमा देवी	7-हे0का0 लालजी यादव
	8-का0 भूपेन्द्र सिंह
	9-का0 नितिल सिंह

नोट— उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा ₹ 15,000.00 /- के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

